न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
पत्रावली संख्या : **36/16 (प्रा0पत्र)**
GCMS No. : 2016/00124

अनवान्

1. श्री लच्छीराम पिता विरम मीणा मृतक के बजाय :—
1/1 श्री लोगर पिता लच्छीराम मीणा निवासी रामाखेडा तहसील भीण्डर।
1/2 श्रीमती धुलीबाई पुत्री लच्छीराम पत्नी हरिराम मीणा निवासी लालावास तहसील धरियावाद जिला प्रतापगढ।
1/3 श्रीमती रूकमणी पुत्री लच्छीराम पत्नी डालु मीणा निवासी खालातोड तहसील वल्लभनगर।
1/4 श्रीमती कैलाशीबाई पुत्री लच्छीराम पत्नी लच्छीराम मीणा निवासी मोडी तहसील वल्लभनगर।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री हीरालाल पिता टेका भील निवासी गुपडी तहसील वल्लभनगर।
2. श्री गौतमलाल पिता भगवानलाल मीणा निवासी धनकाडा तहसील सराडा।
3. श्री चुन्नीलाल पिता रूपा भील निवासी देपुर तहसील नाथद्वारा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

..................विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक :— 28.02.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा मोतीखेडा पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की आराजी संख्या 4007 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा जो वर्तमान राजस्व अभिलेखों में 5/22 हिस्सा विपक्षी संख्या 3 के नाम एवं 17/22 हिस्सा विपक्षी संख्या 2 के नाम अंकित हैं। उक्त आराजी को इस प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

2. यह कि उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी को प्रार्थी द्वारा क्रय किया जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है, जिससे वादग्रस्त आराजी [illegible] की स्वअर्जित सम्पति होकर प्रार्थी के एकल स्वामित्व खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की सम्पति हैं। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी में से 5 बिस्वा भूमि अर्थात 5/22 हिस्सा की भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:40 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 3 को विक्रय कर दिया गया था जिससे 5/22 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार एवं आधिपत्यधारी विपक्षी संख्या 3 है एवं उक्त 5/22 हिस्सा विपक्षी संख्या 3 के नाम समस्त राजस्व अभिलेखों में अंकित हैं। वादग्रस्त आराजी में जो शेष 17/22 हिस्सा प्रार्थी के खातेदारी अधिकार, स्वामित्व एवं आधिपत्य का है, उसके लिये विपक्षी संख्या 1 ने किसी फर्जी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम से खडा कर एक फर्जी विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 1 ने अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया तथा उसे दिनांक 19.02.2015 को उप पंजीयक मावली के वहां पंजीबद्व करवा दिया। जबकि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के 17/22 हिस्से की भूमि को कभी भी आज तक किसी भी अन्य व्यक्ति को अथवा विपक्षी संख्या 1 को हस्तान्तरित नहीं किया गया हैं। विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जो विक्रय पत्र का निष्पादन एवं पंजीयन हुआ है वह पूर्णतया फर्जी होकर प्रार्थी के नाम की जाली अंगुष्ठ निशानी से निष्पादित कर पंजीबद्व करवाया गया है। इतना ही नही उक्त विक्रय पत्र पर प्रार्थी के लिये जो फोटो लगी हुई हैं वह भी प्रार्थी की नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति की है। उक्त फर्जी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 1 ने 17/22 हिस्सा को अपने नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करवा लिया एवं तत्पश्चात् अवैधानिक एवं अनाधिकृत रूप से उक्त 17/22 हिस्सा को विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.06.2015 से नुमाईशी तोर पर हस्तान्तरित कर दिया गया एवं उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी का 17/22 हिस्सा विपक्षी संख्या 2 के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गया जो वर्तमान में भी दर्ज हैं।

3. यह कि विपक्षी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्पादित एवं पंजीबद्व हुए है वे पूर्णतया फर्जी होकर जाली एवं कुटरचित है एवं इस प्रकार के विक्रय पत्र शून्य प्रभावी दस्तावेजो की श्रेणी में आते है एवं इस प्रकार के कपट पूर्वक दस्तावेजो को किसी भी दीवानी न्यायालय से शून्य प्रभावी घोषित करवाये जाने की भी आवश्यकता नहीं हैं। इस प्रकार के शून्य प्रभावी दस्तावेजो से प्रार्थी के विधिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है एवं इस प्रकार के शून्य प्रभावी दस्तावेज प्रार्थी के विरूद्व बेअसर हैं। विपक्षी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में हुए उक्त फर्जी विक्रय पत्राों के बारे में जब प्रार्थी को ज्ञान हुआ तो प्रार्थी द्वारा एक फौजदारी प्रकरण अन्तर्गत धारा 420–467–468–120–बी भा.द.सं. में थाना मावली में दर्ज करवाया गया। जो वहां प्रकरण संख्या 68/2015 पर दर्ज हुआ। जिसमें पुलिस थाना मावली द्वारा विस्तार से अनुसंधान किया गया तो यह पाया गया कि किसी लिम्बा उर्फ लिम्बाराम पिता खीमा भील निवासी झाडोल द्वारा नकली लच्छीराम बनकर उनकी आई.डी. तैयार करवाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में फर्जी रजिस्ट्री करवाकर प्रार्थी के साथ धोखाधडी की इस हेतु अभियुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:40 IST
Reason: SelfAttested

कल्याणसिंह ने सारी साजिश रची व मुल्जिम सोहनसिंह के मार्फत लिम्बाराम भील को खडा कर उसे नकली लच्छीराम बनाकर जमीन का बिकावनामा करवा लिया। इस फर्जी रजिस्ट्री में कल्याणसिंह के कहने से राजेश नाई व मदनलाल गर्ग ने झूठी गवाही दी। जिससे सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्तगण लिम्बा उर्फ लिम्बाराम निवासी झाडोल, विपक्षी संख्या 1 के खिलाफ धारा 419–420–467–468–120–बी भा.द.सं. में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मावली में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया तथा कल्याणसिंह राजपूत निवासी मजावडा, सोहनसिंह राजपूत निवासी मीठा नीम, राजेश नाई निवासी गुपडी, मदनलाल गर्ग निवासी गुपडी के विरूद्व धारा 419–420–467–468–120–बी भा.द.सं. एवं धारा 3 (1) (4) (5) व धारा 3 (2) (5) एसी./एसटी./सी.पी. में आरोप पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मावली में प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन हैं।

4. यह कि विपक्षी संख्या 1 ने अपने पक्ष में फर्जी विक्रय पत्र निष्पादित करवा अपने पक्ष में राजस्व अभिलेखों में अंकन करवा बाद में विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का 17/22 हिस्सा अंकित करवा दिया। जिससे वर्तमान राजस्व अभिलेखों में उक्त 17/22 हिस्सा विपक्षी संख्या 2 के नाम अंकित रहने से प्रार्थी के विधिक अधिकारों पर भारी कुठाराघात हो रहा हैं। जिससे इस इन्द्राज को विपक्षी संख्या 2 के नाम से हटाया जाकर प्रार्थी के नाम वादग्रस्त आराजी का 17/22 हिस्सा खातेदारी हक से घोषित करते हुए प्रार्थी के नाम पुनः राजस्व अभिलेखों में अंकन किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया हैं। जिससे प्रार्थी को घोषणा हेतु वाद एवं यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने पर विवश होना पडा हैं। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 17/22 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 5/22 हिस्सा से संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य है। उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी में रहने से आये दिन लगान, लेवी आदि जमा कराने में अडचन रहने तथा मौके पर रकबा कमी बेसी विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में फर्जी रजिस्ट्री करवा राजस्व अभिलेखों में विपक्षी संख्या 2 के नाम से अंकन करवा लेने से एवं वादग्रस्त आराजी में जबरन कब्जा करने की धमकीयां दिये जाने से तथा विपक्षी संख्या 3 द्वारा विभाजन हेतु कानूनी कार्यवाही करवाने हेतु कहने से एवं इस प्रकार की धमकीयां अंतिम बार दिनांक 06.02.2016 को दिये जाने से प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का बिनाय पैदा हुआ जो लगातार जारी हैं। विपक्षी संख्या 3 के विरूद्व कोई सहायता नहीं चाही जा रही है किन्तु घोषणा के बाद एवं हस्तगत प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 3 सह काश्तकार होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने से उसे विपक्षी संख्या 3 के रूप में सम्मिलित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:40 IST
Reason: SelfAttested

5. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कराई जावे कि मूल वाद के निर्णय तक विपक्षीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी के 17/22 हिस्से में प्रवेश नहीं करे, न ही किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करावे, न ही वादग्रस्त आराजी की भौतिक स्थिति में परिवर्तन करे, भूमि को कृषि से अकृषि में रूपान्तरित नहीं करावे, न वादग्रस्त आराजी को किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित ही करे, न प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा करे, न राजस्व अभिलेखों में कोई परिवर्तन करवावे, न ही इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से ही करावें।
6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1, 3 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं।
7. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय कर खातेदार बने है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।
8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 2, 3 के नाम पर संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज है जो पूर्व में प्रार्थी के नाम दर्ज थी। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि में से 5/22 हिस्सा विपक्षी संख्या 3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विपक्षी संख्या 3 को विक्रय करना बताया तथा शेष हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज था परन्तु लिम्बा उर्फ लिम्बाराम पिता खीमा भील निवासी झाडोल द्वारा फर्जी लच्छीराम (प्रार्थी) बन शेष 17/22 हिस्सा भूमि को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सम्पादित कर दिया जिससे उक्त 17/22 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गया जो गलत हैं। प्रार्थी द्वारा अपनी क्रयशुदा भूमि बताकर घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। चूंकि प्रकरण में फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षीगण के नाम भूमि दर्ज होने से प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:40 IST
Reason: SelfAttested

दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *<u>सुविधा का संतुलन</u>* – चूंकि वाद वर्णित भूमि को फर्जी दस्तावेज के आधार पर विक्रय करना जाहिर हुआ है यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण इसका फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द एवं विक्रय हस्तान्तरण कर देते है तो इससे प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. *<u>अपूरणीय क्षति–</u>* चूंकि वाद वर्णित भूमि को विपक्षीगण द्वारा फर्जी तरीके से अपने नाम करवाई है। अतः विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को हस्तान्तरण कर देते है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष निर्णित किये होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि मौजा मोतीखेडा पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 की खाता संख्या 239 पर दर्ज आराजी नम्बर 4007 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज थी। प्रार्थी द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से 5/22 हिस्सा भूमि विपक्षी संख्या 3 चुन्नीलाल को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.01.2015 से विक्रय कर दी तथा शेष 17/22 हिस्सा भूमि को लिम्बा उर्फ लिम्बाराम पिता खीमा भील निवासी झाडोल द्वारा फर्जी लच्छीराम (प्रार्थी) बनकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सम्पादित कर दिया जिससे उक्त 17/22 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गया तत्पश्चात् विपक्षी संख्या 1 हीरालाल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 29.06.2015 से विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में विक्रय कर दी। उक्त फर्जी विक्रय पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा एक फौजदारी प्रकरण अन्तर्गत धारा 420–467–468–120–बी भा.द.सं. में थाना मावली में दर्ज करवाया जिसके प्रकरण संख्या 68/15 है जिसमें थानाधिकारी मावली द्वारा अनुसंधान कर लिम्बा उर्फ लिम्बाराम पिता खीमा भील निवासी झाडोल द्वारा नकली लच्छीराम बनकर उसकी आई.डी. तैयार करवाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्षी में फर्जी रजिस्ट्री करवाकर प्रार्थी के साथ धोखाधडी की इस हेतु अभियुक्त कल्याणसिंह ने सारी साजिश रची तत्पश्चात् अभियुक्तगण लिम्बा उर्फ लिम्बाराम निवासी झाडोल, विपक्षी संख्या 1 के खिलाफ धारा 419–420–467–468–120–बी भा.द.सं. में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मावली में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था तथा कल्याणसिंह राजपूत निवासी मजावडा, सोहनसिंह राजपूत निवासी [illegible], राजेश [illegible] निवासी गुपडी, मदनलाल गर्ग निवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:40 IST
Reason: SelfAttested

गुपडी के विरूद्व धारा 419–420–467–468–120–बी भा.द.सं. एवं धारा 3 (1) (4) (5) व धारा 3 (2) (5) एसी/एसटी/सी.पी में प्रस्तुत किया गया।

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये गये है। प्रकरण में दिनांक 26.02.2016 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। चूंकि वादग्रस्त भूमि का 17/22 हिस्सा विपक्षी संख्या 2 के नाम पर दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 2 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी संख्या 2 पुनः वादग्रस्त भूमि का विक्रय कर देते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 3 को सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है इनके विरूद्व किसी प्रकार की दाद नहीं चाही हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक मौजा मौजा मोतीखेडा पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की आराजी नम्बर 4007 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि में विपक्षी संख्या 2 गौतमलाल के नाम दर्ज हिस्सा भूमि के मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:40 IST
Reason: SelfAttested